न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : मनोज कुमार मीणा, आर.ए.एस.

प्रकरण सं. : 67 GCMS: 2014/00058 दायर दिनांक : 06.05.2014

1. ग्यारसी पत्नी स्व. जैसाराम पुत्र रामसुख जाति रेगर निवासी चक आर.जे.एम. (गोपालसर) तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

—वादी

बनाम

1. राजू पुत्र स्व. जैसाराम जाति रेगर निवासी चक 4 आर.जे.एम. (गोपालसर) तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
2. भंवरी (मृतक) पुत्री स्व. जैसाराम पत्नी जैसाराम
   - 2/1 चुन्नीलाल
   - 2/2 रामचन्द्र
   - 2/3 घनश्याम
   - 2/4 रोशनी
   - 2/5 मंजू
   - 2/6 सुमन

   } पुत्र/पुत्रीयान भंवरी पुत्री स्व. जैसाराम अकवाम रेगर सा. वार्ड सं. 30, 101 आर.सी.सी. ग्रेफ के पास, सूरतगढ़
3. गोमती (मृतक) पुत्री स्व. जैसाराम पत्नी श्री गिरधारी
   3/1 पूर्णचन्द पुत्र गोमती पुत्री स्व. जैसाराम पत्नी श्री गिरधारी जाति रेगर साकिन वार्ड सं. 30, 101 आर.सी.सी. ग्रेफ के पास, सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़
4. सुशीला पुत्री स्व. जैसाराम पत्नी उदाराम जाति रेगर साकिन वार्ड सं. 30, 101 आर.सी.सी. ग्रेफ के पास, सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़
5. सुरजाराम
6. मोडाराम

   } पिसरान रामसुख अकवाम रेगर साकिन 4 आरजेएम तहसील सूरतगढ
7. सुखदेव सिंह पुत्र अजीत सिंह जाति बावरी निवासी प्रतापपुरा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
8. राजस्थान सरकार बजरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ बहैसियत प्रतिनिधि भू—धारक
9. उप पंजीयक, सूरतगढ़

—प्रतिवादीगण

वाद—पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :
1. श्री लेखराज देरासरी, अभिभाषक वादीया
2. श्री भागीरथ बिश्नोई प्रतिवादी सं. 7
3. पैरोकार राज नायब तहसीलदार, सूरतगढ़

निर्णय दिनांक : 16.09.2020

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अभिभाषकगण पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण के

क्रमशः ..... पेज 2 पर

(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.09 15:27:33 IST
Reason: SelfAttested

संक्षेप में, तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीया के ससुर रामसुख पुत्र गोरधन के नाम से चक 4 आर.जे.एम. के पत्थर नं. 122/30 के कि.नं. 21/1. 00 बीघा, प.नं. 122/31 कि.नं. 1, 2, 9 ता 11, 20, 21 की 6.18 बीघा, प.नं. 122/23 कि. नं. 4 ता 9, 13 ता 18, 24, 25 की 13.16 बीघा, प.नं. 122/16 कि.नं. 15–16/2.00 बीघा, प.नं. 122/24 के कि.नं. 4, 8 ता 13, 18 ता 23 की 11.19 बीघा व प.नं. 123/17 के कि.नं. 1/1.00 बीघा कुल 36.13 बीघा भूमि खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। मूल खातेदार रामसुख की मृत्यु के उपरान्त रामसुख की भूमि उनके दो पुत्रों सुरजा, मोडा के नाम से 2/3 हिस्सा व जैसाराम के स्थान पर उसके एकमात्र पुत्र राजू पुत्र जैसाराम के नाम से 1/3 हिस्सा दर्ज हुई। जिसके बाद राजू का खाता अलग हो गया। जैरवाद भूमि मूल रूप से रामसुख से बतौर वारिस प्राप्त हुई। जिसमें राजू अकेला उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित होने का पत्रा नही था, बल्कि उसके नाम अंकित भूमि में राजू के पिता जैसाराम के सभी वारिसान, जो वाद में वादीया व प्रतिवादीगण नं. 1 ता 4 अंकित है, राजू के नाम के हिस्से 1/3 में प्रत्येक 1/5 हिस्सा रखता है अर्थात राजू के नाम अंकित 3.091 है0 में वादीया का 1/5 हिस्सा यानि 0.6182 है0 बनता है। मूल अंकित काश्तकार रामसुख पुत्र गोरधन जाति रेगर खातेदार की मृत्यु उपरान्त हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुार दो पुत्रों सुरजाराम–मोडा पि. रामसुख 1/3 हिस्सा प्रत्येक और उसके पुत्र जैसा पुत्र रामसुख का 1/3 हिस्सा बनता था। रामसुख की मृत्यु के समय जैसाराम के जीवित न होने से जैसा का हिस्सा ब.हि.बराबर 1/3 हिस्सा जैसा के जायज वारिसान उसकी पत्नी वादीया और पुत्र व पुत्रियों, जो कि भंवरी राजू, सुशीला और गोमती थे, के नाम ब.हि.बराबर दर्ज होने चाहिए थे। मौका पर वादीया का अपने हिस्सा पर कब्जा है। जमाबंदी सम्वत् 2046 ता 49 चक 4 आर. जे.एम. के खाता सं. 17/16 में अंकित काश्तकारों में खाता विभाजन हो गया और बाद खाता विभाजन राजू की भूमि चक 4 आर.जे.एम. तहसील सूरतगढ़ जमाबन्दी सम्वत् 2070 ता 73 के खाता सं. 60/103 के प.नं. 122/23 (71) के कि.नं. 4 ता 9/1.518 है0, 13 ता 15/0.759 है0, 18/2/0.123 है0 की 2.400 है0 कमाण्ड, प.नं. 122/16 (75) कि.नं.

(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज०)

क्रमशः ..... पेज 3 पर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.09 15:27:33 IST
Reason: SelfAttested

15–16 की 0.506 है0 कमाण्ड व प.नं. 122/24 (76) के कि.नं. 23/3/0.185 है0 कमाण्ड कुल 3.091 है0 कमाण्ड भूमि अंकित है। यह भूमि प्रतिवादी सं. 1 राजू को बतौर वारिस गलत अंकित हुई है। प्रति.सं. 1 राजू ने प्रतिवादी संख्या 7 सुखदेव सिंह पुत्र अजीतसिंह जाति बावरी निवासी प्रतापपुरा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर को विक्रय कर दी है जो कानूनी रूप गलत है तथा वादीया के हकों पर बेअसर है। वाद वादीया स्वीकार किया जावे। कानूनी नजीर आर.आर.डी 1995 पेज 532, आर.आर.डी. 1990 पेज 41 एवं आर.आर. डी. पेज 391 प्रस्तुत की।

वकील प्रतिवादी सं. 7 ने जवाब दावा दोहराते हुए बताया कि प्रतिवादी संख्या 1 को जैरवाद भूमि में 1/3 हिस्सा सही दर्ज हुआ है। वादीया सहित स्व. जैसाराम के सभी वारिसान ने सहमति से जैरवाद भूमि प्रतिवादी सं. 1 राजू के नाम दर्ज करवाई थी। वर्तमान में रकबा प्रतिवादी संख्या 7 के नाम से खातेदारी दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 1 राजू के नाम जब जैरवाद रकबा दर्ज हुआ तब उसकी उम्र लगभग 5–6 वर्ष थी। वह अपने नाम रकबा दर्ज करवाने में सक्षम नही था। इससे स्पष्ट है कि वादीया जो कि राजू की माता है, ने ही रकबा राजू के नाम दर्ज करवाया था। जैरवाद भूमि पर मौका पर प्रतिवादी संख्या 7 का कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 7 को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 13.03.2014 से जैरवाद रकबा को बेचान करके पूर्ण प्रतिफल प्राप्त करके कब्जा मौका पर सम्भला दिया था। रजिस्टर्ड बैयनमा को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नही है। किन्तु अब राजू व वादीया ने मिलकर यह दावा प्रस्तुत कर दिया है। रजिस्टर्ड बैयनामा के कायम रहते वादीया किसी प्रकार का हक व हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारीणी नही है। प्रतिवादी संख्या 7 अंकित खातेदार काश्तकार है। वाद वादीया खारिज किया जावे। कानूनी नजीर आर.बी.जे (8) 2001 पेज 326 प्रस्तुत की।

पक्षकारान के तर्क सुनने के बाद तर्कों के परिपेक्ष्य में पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक पठन व मनन किया गया। तनकीवार विस्तृत विवेचन निम्न प्रकार से है :

तनकी नं. 1 – <u>आया कि वादीया का प्रश्नगत भूमि में 1/3 हिस्सा में से 1/5 हिस्सा निहित है ?</u> (वादीया)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीया पर था। वादीगण द्वारा प्रस्तुत गिरदावरी

क्रमशः ..... पेज 4 पर

(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.09 15:27:33 IST
Reason: SelfAttested

सम्वत् 2036 ता 2039 चक 4 आर.जे.एम. पत्थर नं. 122/30, 122/31, 122/16 तथा 122/24 में जैरवाद भूमि वादीया के ससूर रामसुख पुत्र गोरधन सा. रेगर खातेदार दर्ज थी। रामसुख की मृत्यु के उपरान्त उक्त रकबा सुरजा–मोडाराम पि. रामसुख 2/3 हिस्सा तथा राजू वल्द जैसा 1/3 हिस्सा कौम रेगर सा. गोपालसर के नाम दर्ज हुआ है। गिरदावरी सम्वत् 2036 ता 39 में इसका अंकन है। जमाबंदी सम्वत् 2046 ता 49 चक 4 आर.जे.एम. प.नं. 122/30, 122/31, 122/16, 122/24 में जैरवाद भूमि सुरजा–मोडाराम पि. रामसुख 2/3 हिस्सा राजू वल्द जैसा 1/3 हिस्सा कौम रेगर सा. गोपालसर खातेदार दर्ज थी। जैसाराम पुत्र रामसुख की मृत्यु प्रमाण–पत्र अनुसार दिनांक 19.10.1973 को मृत्यु हो गई थी तथा सरपंच ग्राम पंचायत गोपालसर के जायज वारिस प्रमाण पत्र दिनांक 22.04.2014 अनुसार जैसाराम पुत्र रामसुख के 05 जायज वारिस है। ग्यारसी ने अपने शपथ पत्र में यह स्पष्ट अंकित किया है कि स्व. जैसाराम के मृत्यु उपरान्त इसके पांच जायज वारिस थे। इसकी ताईद सरपंच द्वारा दिये गये प्रमाण–पत्र से भी होती है। इसका प्रति शपथ पत्र भी प्रस्तुत नही हुआ है। ऐसी अवस्था में शपथ पत्र का विश्वसा किया जा सकता है। स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि पूर्व में रामसुख के नाम दर्ज अंकित थी। रामसुख के फौत हो जाने के उपरान्त उक्त रकबा प्रतिवादी सं. 1 राजू के नाम दर्ज कर दिया गया जबकि रामसुख के पुत्र जैसाराम के 05 जायज वारिस है। वादीया इस तनकी को पूर्ण रूप से सिद्ध कर चुके हैं, इसलिए तनकी नं. 1 बहक वादीया निर्णय की जाती है।

तनकी नं. 2 – आया कि वादीया का 1/3 हिस्सा में से 1/5 हिस्सा घोषित किया जावे ?

(वादीया)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार भी वादीया पर था। इस तनकी का सम्बन्ध तनकी नं. 1 से है। तनकी सं. 1 का निर्णय वादीया के पक्ष में किया जा चुका है। तनकी नं. 2 इसी आधार पर बहक वादी तनकी नं. 1 के विवेचन अनुसार निर्णय की जाती है।

तनकी नं. 3 – आया कि प्रश्नगत बैयनामा वादीया के हक का हिस्सा तक NULL & VOID है ?

(वादीया)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीया पर था। इस तनकी का सम्बन्ध तनकी नं. 1 व 2 से है। तनकी सं. 1 व 2 का निर्णय वादीया के पक्ष में किया जा चुका है। वादीया ने स्वयं को जैसाराम का वारिस साबित किया है। रामसुख की मृत्यु हो जाने के उपरान्त

(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज०)

क्रमशः ..... पेज 5 पर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.09 15:27:33 IST
Reason: SelfAttested

जैरवाद भूमि जैसाराम के सभी वारिसों के नाम अंकित न होकर प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज हो गई। प्रतिवादी सं. 1 राजू को 1/3 हिस्सा में से 1/5 हिस्सा से अधिक भूमि बेचने का अधिकार नही था। 1/3 हिस्सा में से 1/5 हिस्सा से अधिक के विक्रय का अधिकार प्रतिवादी सं. 1 राजू को नही था। इस अवस्था में अधिक को बेचान NALL & VOID है एवं वादीया के हितों पर निष्प्रभावी है। इसलिये तनकी नं. 3 बहक वादीया निर्णित की जाती है।

तनकी नं. 4 – आया कि उक्त भूमि पैतृक है जो वादीया के एक मात्र पुत्र को विधि विरूद्ध निहित हो गई है ? (वादीया)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीया पर था। इस तनकी का सम्बन्ध तनकी नं. 1 व 2 से है। तनकी सं. 1 व 2 का निर्णय वादीया के पक्ष में किया जा चुका है। तनकी नं. 4 इसी आधार पर बहक वादी तनकी नं. 1 के विवेचन अनुसार निर्णय की जाती है।

तनकी नं. 5 – आया कि वादीया रामसुख पुत्र गोरधन जाति रेगर निवासी गोपालसर की वारिस है ? (वादीया)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीया पर था। सरपंच ग्राम पंचायत गोपालसर के जायज वारिस प्रमाण पत्र दिनांक 22.04.2014 अनुसार जैसाराम पुत्र रामसुख के 05 जायज वारिस है। ग्यारसी जैसाराम की पत्नी है। इस तथ्य को स्वयं प्रतिवादी भी स्वीकार करते है, जहां तक ग्यारसी द्वारा हकत्याग का प्रश्न है, दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नही है। नामान्तकरण नुमाईशी fiscal प्रोसेडिंग है। नामान्तरकण या अधिकारों का अंकन सभी वारिसान के नाम होना उचित था। इसके विपरित मात्र नियमित वाद से ही अधिकारों का निणर्य होने योग्य है जो वर्तमान में विचाराधीन है। प्रतिवादीगण ने वादी के कथन के विपरित दस्तवेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किये है। इसलिये उक्त तनकी नं. 5 वादीया के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नं. 6 – आया कि जैर विवादित रकबा वादीया के पुत्र राजू के नाम वादीया की सहमति से दर्ज हुआ है? (प्रतिवादी)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीया पर था। प्रतिवादीगण ने ऐसा कोई साक्ष्य/सबूत प्रस्तुत नही किया है, जिससे यह स्पष्ट हो कि वादीया की सहमति से प्रतिवादी सं. 1 के नाम जैरवाद भूमि अंकित हुई है एवं ना ही किसी के साक्ष्य करवायें है। दस्तावेजी साक्ष्य के बिना प्रतिवादीगण का कथन मानने योग्य नही है। इसलिये उक्त तनकी नं. 6 प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

क्रमशः ..... पेज 6 पर

(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.09 15:27:33 IST
Reason: SelfAttested

तनकी नं. 7 – आया कि प्रतिवादी सद्भावी खरीददार है ? (प्रतिवादी)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर था। प्रतिवादी संख्या 7 ने इस भूमि का खरीददार है। अधिकारों की जांच किया जाना इसका दायित्व था। जिसका निर्वहन उन्होने सही रूप से नही किया है एवं न ही इस विषय में साक्ष्य पेश किये हैं। वॉइड एबइनिशियों होने से सद्भावी होने पर भी प्रतिवादी को अनुतोष नही दिया जा सकता है। इसलिये उक्त तनकी नं. 7 प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

तनकी नं. 8 – आया कि प्रतिवादीगण वादीया की पुत्रीयों की जैर विवादित रकबा में कोई हक व हिस्सा नही बनता ? (प्रतिवादी)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर था। प्रतिवादी संख्या 7 ने इस भूमि के सम्बन्ध में कोई कानून प्रस्तुत नही किया है। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत नजीर आर.बी.जे. (8) 2001 पेज 326 सेल डीड को निरस्त करने का अधिकार व्यवहार न्यायालय को होना बताया गया है। इस विषय में मेरी राय में यह मामला इस न्याय निर्णय के परिधी में नही आता है। वर्तमान मामला अधिकार की घोषणा इस कथन सहित की गई है कि वादीया का अधिकार था। उसके अधिकार की भूमि बिना अधिकार किसी अन्य को विक्रय कर दी गई है जो उनके अधिकार पर अप्रभावी है। विक्रय को निरस्त कराने की प्रार्थना नही की गई है बल्कि कथन यह किया गया है कि विक्रय एबइनिशियों अधिकारातीत है एवं उनके अधिकारों पर अप्रभावी है। वॉइड एबइनिशियों है। ऐसी अवस्था में बिना विक्रय पत्र को निरस्त कराये विक्रय पत्र को निष्प्रभावी मानकर अधिकारों की घोषणा की जा सकती है। इसलिये उक्त तनकी नं. 8 प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

उपरोक्तानुसार तनकी नं. 1 ता 5 जिन्हें वादीया द्वारा सिद्ध किया जाना था, वादीया सिद्ध करने में सफल रहे हैं एवं तनकी 6 ता 8 जिसे प्रतिवादी सं. 7 द्वारा सिद्ध किया जाना था, प्रतिवादी सिद्ध करने में असफल रहा है। इसलिए वाद वादीया पूर्ण रूप से सिद्ध होने से वाद वादीया स्वीकार किया जाना हम उचित समझते हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार वाद वादीया स्वीकार किया जाकर चक 4 आर.जे.एम. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2070 ता 73 के खाता सं. 60/103 के पत्थर नं. 122/23 (71) के कि.नं. 4 ता 9/1.518 है0, 13 ता 15/0.759 है0, 18/2 में 0.123 है0 कुल 2.400 है0 कमाण्ड, प.नं. 122/16 (75) किला नं. 15–16/0.506 है0 कमाण्ड व पत्थर नं. 122/24 (76) किला नं. 23/3 में 0.185 है0 कमाण्ड कुल 3.091 है0 कमाण्ड भूमि, जो

(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज०)

क्रमशः ..... पेज 7 पर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.09 15:27:33 IST
Reason: SelfAttested

उसे रामसुख की खातेदारी भूमि में से बतौर वारिस प्राप्त हुई है में वादीया 1/5 हिस्सा की खातेदार कृषक की घोषणा की जाती है एवं वादीया के हकूक पर विक्रय पत्र दिनांक 13.03.2014 बहक प्रतिवादी सं. 7 सुखदेवसिंह निष्प्रभावी रहेगा। घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। डिक्री जारी हो। हुक्म सुनाया गया। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.09.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

(मनोज कुमार मीणा)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.09 15:27:33 IST
Reason: SelfAttested

(ओ021 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

–:: परचा डिक्री ::–

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

(पीठासीन अधिकारीः– मनोज कुमार मीणा, आर.ए.एस)

1. ग्यारसी पत्नी स्व. जैसाराम पुत्र रामसुख जाति रेगर निवासी चक आर.जे.एम. (गोपालसर) तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

–वादी

बनाम

1. राजू पुत्र स्व. जैसाराम जाति रेगर निवासी चक 4 आर.जे.एम. (गोपालसर) तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
2. भंवरी (मृतक) पुत्री स्व. जैसाराम पत्नी जैसाराम
   - 2/1 चुन्नीलाल
   - 2/2 रामचन्द्र
   - 2/3 घनश्याम
   - 2/4 रोशनी
   - 2/5 मंजू
   - 2/6 सुमन

   } पुत्र/पुत्रीयान भंवरी पुत्री स्व. जैसाराम अकवाम रेगर सा. वार्ड सं. 30, 101 आर.सी.सी. ग्रेफ के पास, सूरतगढ़
3. गोमती (मृतक) पुत्री स्व. जैसाराम पत्नी श्री गिरधारी
   3/1 पूर्णचन्द पुत्र गोमती पुत्री स्व. जैसाराम पत्नी श्री गिरधारी जाति रेगर साकिन वार्ड सं. 30, 101 आर.सी.सी. ग्रेफ के पास, सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़
4. सुशीला पुत्री स्व. जैसाराम पत्नी उदाराम जाति रेगर साकिन वार्ड सं. 30, 101 आर.सी.सी. ग्रेफ के पास, सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़
5. सुरजाराम
6. मोडाराम

   } पिसरान रामसुख अकवाम रेगर साकिन 4 आरजेएम तहसील सूरतगढ
7. सुखदेव सिंह पुत्र अजीत सिंह जाति बावरी निवासी प्रतापपुरा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
8. राजस्थान सरकार बजरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ बहैसियत प्रतिनिधि भू–धारक
9. उप पंजीयक, सूरतगढ़

–प्रतिवादीगण

वाद वादीया स्वीकार किया जाकर चक 4 आर.जे.एम. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2070 ता 73 के खाता सं. 60/103 के पत्थर नं. 122/23 (71) के कि.नं. 4 ता 9/1.518 है0, 13 ता 15/0.759 है0, 18/2 में 0.123 है0 कुल 2.400 है0 कमाण्ड, प.नं. 122/16 (75) किला नं. 15–16/0.506 है0 कमाण्ड व पत्थर नं. 122/24 (76) किला नं. 23/3 में 0.185 है0 कमाण्ड कुल 3.091 है0 कमाण्ड भूमि, जो उसे रामसुख की खातेदारी भूमि में से बतौर वारिस प्राप्त हुई है में वादीया 1/5 हिस्सा की खातेदार कृषक की घोषणा की जाती है एवं वादीया के हकूक पर विक्रय पत्र दिनांक 13.03.2014 बहक प्रतिवादी सं. 7 सुखदेवसिंह निष्प्रभावी रहेगा। घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।

नोज.....x.....मुबलिग..... x.....बाबत..... x .....खर्चा इस मुकदमें में मय सूद बशरह..... x.... फस्दों की पालना..... x.....आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 16.09.2020 को जारी की गई।

(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.09 15:27:33 IST
Reason: SelfAttested